भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1654
दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली पुलिस द्वारा चालान जारी करना

1654. श्री कौशल किशोरः

श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वाहनों के चालान जारी करने के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दिए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या गृह मंत्रालय ने दिल्ली यातायात पुलिस को वाहनों का चालान लाल बत्ती पर करने की बजाय लाल बत्ती से दूर पेड़ों के पीछे खड़े होकर करने के निर्देश जारी किए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार को पेड़ों के पीछे छुपने वाले दिल्ली यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा चालान जारी करने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि यातायात नियमों तथा विनियमों को पेशेवर तरीके से अक्षरश: लागू करने तथा यातायात की सुचारू आवाजाही और विनियमन सुनिश्चित करने तथा कम अभियोजन पर भी फोकस करने के लिए उसके कार्मिकों को नियमित रूप से समझाया और अवगत कराया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रैफिक यूनिट के सभी फील्ड अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि वे खुद को जंक्शनों पर किसी विशिष्ट स्थान पर तैनात करें।

...2/-

लो.सं.अ.प्र.सं. 1654

दिल्ली पुलिस द्वारा फील्ड पर्यवेक्षण अधिकारियों को भी निदेश दिया गया है कि वे महत्वपूर्ण सड़कों/चौराहों पर ट्रैफिक स्टॉफ की समुचित उपलब्धता, मौजूदगी (विजिबिलिटी), समय की पाबंदी तथा गतिशीलता कड़ाई से सुनिश्चित करें।

(ख): जी, नहीं।

(ग): (ख) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.): दिल्ली पुलिस के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (दिनांक 15.06.2019 तक) के दौरान यातायात पुलिस के किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****